सं. एफ.I/4/2009-स्था.(वेतन.I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एफआर 35 के अंतर्गत स्थानापन्न वेतन प्रतिबंधित करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल नियम 35 में निहित प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी का वेतन मूल नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य राशि से कम राशि पर नियत कर सकती है । तदनुसार, समय-समय पर आदेश जारी किए गए हैं जिनमें उन स्थितियों और उस सीमा को दर्शाया गया है जहां तक एफआर 35 के प्रावधान लागू होंगे । इस विभाग का दिनांक 15 दिसम्बर, 1998 का का.ज्ञा. सं. 18/7/98-स्था.(वेतन-I), पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिश पर सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों पर आधारित अधिकतम सीमा निर्धारित करता है ।

2. सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप इन अधिकतम सीमाओं, जिससे लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन द्वारा संशोधन-पूर्व वेतनमान प्रतिस्थापित किए गए हैं, में संशोधन के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और राष्ट्रपति वेतन बैंड में वेतन के मापदंड द्वारा उपर्युक्त प्रतिबंध लागू करने के सम्बन्ध में मूल वेतन के मौजूदा मानदंड प्रतिस्थापित करने का निर्णय करते हैं । तदनुसार, एफआर 35 के अंतर्गत वेतन प्रतिबंधित किया जाएगा ताकि संशोधित वेतनमान में मूल वेतन नीचे दर्शायी गई अधिकतम राशि से ज्यादा न हो:

क)	14880 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन बैंड में वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए	अधिकतम 2000 रुपये प्रतिमाह के अध्यधीन मूल वेतन का 12-1/2 प्रतिशत (फीडर और पदोन्नति पद के बीच ग्रेड वेतन के अंतर सहित) ।
ख)	14880 रुपये प्रतिमाह तक वेतन बैंड में वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए	अधिकतम 2000 रुपये प्रतिमाह के अध्यधीन मूल वेतन का 15 प्रतिशत (फीडर और पदोन्नति पद के बीच ग्रेड वेतन के अंतर सहित) ।

3. ऐसे मामलों, जिनमें एफआर 35 के अंतर्गत वेतन नियत किया जाता है, में आहरित की जाने वाली वेतनवृद्धि की दर का जहां तक सम्बन्ध है, सरकारी कर्मचारी को, एफआर 35 के अंतर्गत प्रतिबंधों के लागू होने के बाद उसे दिए गए मूल वेतन का 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि आहरित करने की अनुमति होगी ।

4. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत् व्यक्तियों का जहां तक सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)

निदेशक (वेतन)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, मानक सूची के अनुसार ।

1. लेखा महानियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग)/जेसीए/प्रशा. अनुभाग ।
4. अवर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय ।
5. सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र ।
6. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल ।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष), 13, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
8. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
10. 20 अतिरिक्त प्रतियां ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)

निदेशक (वेतन)